भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2325

जिसका उत्तर 23.03.2022 को दिया जाना है

कारपूलिंग को बढ़ावा दिया जाना

2325. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश भर में कारपूलिंग और दुपहिया वाहनों को शेयर करने जैसी वैकल्पिक प्रभावशाली व्यवस्था के विकल्पों को वढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोई राज्य परिवहन के लिए कारपूलिंग को एक प्रभावशाली व्यवस्था के विकल्प के रूप में बढ़ावा देने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कारपूलिंग के लिए अलग दिशानिर्देश जारी कर इससे संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने का काई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सड़कों पर बढ़ते यातायात को कम करने और उसे नियंत्रित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 27 नवंबर, 2020 को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 93 के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुपालनार्थ मोटर यान एग्रीगेटर्स दिशानिर्देश, 2020 जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अनुज्ञप्ति जारी करने के साथ-साथ परिवहन वाहनों पर ऐसे एग्रीगेटरों द्वारा किए जा रहे व्यवसाय को विनियमित करने के लिए मार्गदर्शक ढांचा प्रदान करते हैं। दिशा-निर्देशों में पैरा 11 में राइड पूलिंग के संबंध में प्रावधान बनाए गए हैं।

(घ): सड़क मार्ग से परिवहन राज्य का विषय है और इसलिए, सड़कों पर यातायात जाम की समस्या को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों सहित स्थायी शहरी परिवहन प्रणाली की आयोजना और प्रबंधन की पहलें संबंधित शहरों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू की जाती हैं।

*****